न्यायालयः– विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण, बारां, जिला–बारां(राज.)

सेशन प्रकरण संख्या 21/2018 (सी.आई.एस. 22/2018)

राज्य बनाम राजेन्द्र वगै.

हुक्म की तारीख .	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
12.03.2026	विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज निर्णय हेतु नियत है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्तगण **1. राजेन्द्र पुत्र स्व. देवकरण, उम्र–32 साल (वर्तमान उम्र–40 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.), 2. सावित्री बाई पत्नी राजेन्द्र, उम्र–30 साल (वर्तमान उम्र–38 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357ए दं0प्र0सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए। अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/3/26 विशिष्ट न्यायाधीश	